

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2024—अग्रहायण 15, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2024

क्र. ई-5-609-आयएस-लीव-5-एक.—श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे (1992), अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल का दिनांक 19 से 22 नवम्बर 2024 तक, चार दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 23, 24 नवम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनमति सहित) स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे (1992), अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की अवकाश अवधि उनका प्रभार श्री संजय दुबे, भाप्रसे (1993), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (मा. अ.प्र.) तथा विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ एवं अपर मुख्य सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय तथा अपर

मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे द्वारा अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय दुबे, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

6155

क्र. ई-5-1047-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री हरेन्द्रनारायण, भाप्रसे (2016) आयुक्त, नगर निगम, भोपाल को दिनांक 5 से 7 नवम्बर 2024 तक, तीन दिवसीय स्मार्ट सिटी एक्सपो वर्ल्ड कांग्रेस-2024 बार्सिलोना, स्पेन में सम्मिलित कार्यक्रम में भाग लेने के अनुक्रम में, दिनांक 8 से 10 नवम्बर 2024 तक तीन दिन का कार्योंत्तर एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री हरेन्द्रनारायण, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगर निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री हरेन्द्रनारायण, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरेन्द्रनारायण, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1066-आयएएस-लीव-5-एक.—श्रीमती सपना निगम, भाप्रसे, (2010), सचिव, राजस्व मंडल, ग्वालियर के दिनांक 18 नवम्बर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक, पिचहत्तर दिन के अर्जित अवकाश (दिनांक 15, 16, 17 नवम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) पर रहने फलस्वरूप उनकी अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री छोटेशिंह भाप्रसे (2010) अपर आयुक्त (राजस्व), जिला ग्वालियर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2024

क्र. ई-5-975-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री अंकित अस्थाना, भाप्रसे (2014), कलेक्टर, जिला मुरैना का दिनांक 25 से 29 नवम्बर 2024 तक, पाँच दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 23, 24 एवं 30 नवम्बर 2024, 1 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अंकित अस्थाना, भाप्रसे, की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला मुरैना का प्रभार श्री विवेक कुमार, भाप्रसे (2017), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ग्वालियर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अंकित अस्थाना, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अंकित अस्थाना, भाप्रसे, द्वारा कलेक्टर, जिला मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विवेक कुमार, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अंकित अस्थाना, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंकित अस्थाना, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1220-आयएएस-लीव-5-एक.—श्रीमती संघमित्रा गौतम, भाप्रसे (2016), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का दिनांक 20 से 29 नवम्बर 2024 तक, दस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 30 नवम्बर, 1 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती संघमित्रा गौतम, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती संघमित्रा गौतम, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती संघमित्रा गौतम, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2024

क्र. ई-5-929-आयएएस-लीव-5-एक.—श्रीमती प्रतिभा पाल, भाप्रसे (2012), कलेक्टर, जिला रीवा का दिनांक 25 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2024 तक आठ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 23, 24 नवम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती प्रतिभा पाल, भाप्रसे, की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला रीवा का प्रभार डॉ. सौरभ संजय सोनवणे, भाप्रसे (2017), आयुक्त, नगर निगम, रीवा को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रतिभा पाल, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती प्रतिभा पाल, भाप्रसे, द्वारा कलेक्टर, जिला रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रतिभा पाल, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रतिभा पाल, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग जैन, मुख्य सचिव।

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2024

क्र. एफ 1(ए) 19-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशासन, पु. मु., भोपाल को दिनांक 23 से 29 सितम्बर 2024 तक, सात दिवस की लघुकृत / परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से चौदह दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2024

क्र. एफ 1-21-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री अमनसिंह राठौड़, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी को दिनांक 21 से 27 नवम्बर 2024 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश अवधि में स्वयं एवं श्रीमती प्रियांशी सिंह (पत्नी) के साथ (मालदीव) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई (Assignment) नहीं लेंगे।

(2) श्री अमन सिंह राठौड़, भापुसे, के अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी का कार्य भार श्री संजीव मुले, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमनसिंह राठौड़, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अमनसिंह राठौड़, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अमनसिंह राठौड़, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमनसिंह राठौड़, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए) 90-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 14 से 20 नवम्बर 2024 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2024

क्र. एफ 1(ए) 87-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 18 नवम्बर से 20 दिसम्बर 2024 तक, तैंतीस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं।

क्र. एफ 1 (ए) 144-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, अति. पुलिस आयुक्त (अपराध और मुख्यालय), नगरीय पुलिस, जिला भोपाल का अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 9 से 20 दिसम्बर 2024 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 7-8 व 21-22 दिसम्बर 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में सपरिवार अंडमान-निकोबार जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. श्री पंकज श्रीवास्तव	—	स्वयं
2. श्रीमती अनुमिता श्रीवास्तव	—	पत्नी
3. कु. पंकिता श्रीवास्तव	—	पुत्री
4. श्री प्रत्यूष श्रीवास्तव	—	पुत्र

(2) श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, के अवकाश अवधि में अति. पुलिस आयुक्त (अपराध और मुख्यालय), नगरीय पुलिस, जिला भोपाल का चालू कार्य श्री अवधेश कुमार गोस्वामी, भापुसे, अति. पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था), नगरीय पुलिस, जिला भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस आयुक्त (अपराध और मुख्यालय), नगरीय पुलिस, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2024

फा. क्र. 3040-2024-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री लल्लू लाल द्विवेदी एवं श्री अश्विनी कुमार शर्मा, नोटरीगण, तहसील शाहनगर, जिला पन्ना तथा श्री बी. एल. विश्वकर्मा, नोटरी, तहसील रीठी, जिला कटनी के विरुद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर नोटरी कार्य में निर्धारित राशि से कम राशि के स्टाम्प चस्पा करने का दोषी पाया है. जिसके फलस्वरूप नोटरी अधिनियम, 1952 (क्रमांक 53 सन् 1952) की धारा 10 के खण्ड (घ) तहपठित नोटरी नियम, 1952 के नियम 13 के उपनियम (12) के खण्ड (ख) (1) के अंतर्गत उनका नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र निरस्त करते हुए, अस्थायी तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण हजारे, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय, कलेक्टर, जिला पांडुर्णा, मध्यप्रदेश

पांडुर्णा, दिनांक 28 फरवरी 2024

क्र. 329-वित्त लि.-2024.—मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 34(क) के अनुसार पांडुर्णा जिले में निम्नानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को, इस अधिनियम के अंतर्गत, पंजीयक, लोक न्यास की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाती हैं :—

स. क्र. (1)	राजस्व अनुभाग का नाम (2)	राजस्व अधिकारी (3)
1	अनुभाग पांडुर्णा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पांडुर्णा
2	अनुभाग सौसर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौसर.

पांडुर्णा, दिनांक 8 नवम्बर 2024

क्र. 1428-वरिष्ठ लिपिक-कले.-2024.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-08-2023-एक-4, दिनांक 28 अक्टूबर 2024 के द्वारा दिनांक 1 नवम्बर 2024 दिन शुक्रवार गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक-266-वरि. लि. शा.-कले.-2024, दिनांक 1 जनवरी 2024 के द्वारा पांडुर्णा जिले के लिए दिनांक 1 नवम्बर 2024 दिन शुक्रवार को घोषित स्थानीय अवकाश निरस्त किया जाकर इसके स्थान पर दिनांक 12 नवम्बर 2024 दिन मंगलवार देवउठनी एकादशी / तुलसी विवाह का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है.

उपरोक्त अवकाश कोषालय / उप-कोषालयों पर लागू नहीं होगा.

अजय देव शर्मा, कलेक्टर.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2024

क्रमांक/1/197368/2024 :: भारतीय वन अधिनियम] 1927 (16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N-24⁰14'11.15" से N-24⁰14'46.68" उत्तरी अक्षांश तथा E-81⁰49'22.01" से E-81⁰49'55.00" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला-सीधी
वनमंडल- सीधीतहसील - गोपद बनास
परिक्षेत्र- सीधी

अ.क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	अधरी गड़ई/2	अधरी गड़ाई	शासकीय राजस्व भूमि (गैर-वनभूमि)	65/2	33.000	उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 4 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 9 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 9 से 10 तक कृत्रिम वन सीमा एवम् मुनारा क्रमांक 10 से 13 तक नाला की प्राकृतिक वन सीमा एवम् मुनारा क्रमांक 13 से 21 तक कृत्रिम वन सीमा है। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के क्रमांक 21 मुनारा क्रमांक 1 की कृत्रिम वन सीमा।
				48/2	41.2337	
				48/1/2	7.2620	
				Total	81.4957	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. सीधी जिले में महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मर्यादित द्वारा संचालित समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाइप लाइन बिछाने एवम् अन्य कार्य हेतु प्रभावित वन भूमि के बदले में प्राप्त समतुल्य गैर वन भूमि एवम् कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग सीधी द्वारा प्रस्तावित सीधी-सिरसी मार्ग व अमिलहा-बड़ेसर मार्ग के निर्माण में प्रभावित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित/नामांतरित होने के कारण, विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परियोजना का नाम	प्रस्ताव क्रमांक	प्रभावित वन भूमि (हेक्टेयर में)	कलेक्टर सीधी का अदेश क्रमांक / दिनांक	ग्राम का नाम	मूल खसरा क्रमांक	खसरे का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	बटांकित खसरा क्रमांक	वन विभाग को हस्तांतरित अंश रकबा (हेक्टेयर में)
1.	सीधी जिले में महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मर्यादित द्वारा संचालित समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाइप लाइन	FP/MP/WATER/463272/2024	7.3519	0272/अ-20(3)/2023-24 दि. 30.05.2024	अधरी गड़ई	65	48.270	65/2	33.000
		FP/MP/Pipeline/466806/2024	16.7328						
		FP/MP/WATER/457813/2024	2.935						
		460251 (वस्तुआ एम.बी.आर.) (S)	4.6345						

	बिछाने एवम् अन्य कार्य हेतु।	TR Sidhi) अन्य योजनाओं हेतु	1.3458						
		Total	33.000						
2.	सीधी जिले में महाप्रबंधक म. प्र. जल निगम मर्यादित द्वारा संचालित समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाइप लाइन बिछाने एवम् अन्य कार्य हेतु।	Vadiya MBR (सीधी गुलाब सागरा MBS) प्रस्ताव क्र. 458852 (STR Sidhi)	2.8897	0004/अ-20(3)/2024-25 दि. 18.07.2024	अधरी गडई	48	65.900	48/2	41.2337
		Dhanauli MBR (सीधी गुलाब सागरा MBS) प्रस्ताव क्र. 459118 (STR Sidhi)	1.3453						
		FP/MP/WATER/463261/2024	15.3592						
		सीधी गुलाब सागरा MBS) प्रस्ताव क्र. 465009 (STR Sidhi)	14.8712						
		अन्य योजनाओं हेतु	6.7683						
		Total	41.2337						
3.	अमिलहा-बड़े सर मार्ग निर्माण	FP/MP/Road/472506/2024	2.886	0005/अ-20(3)/2024-25 दि. 29.07.2024	अधरी गडई	48/1	24.6663	48/1/2	7.2620
4.	सीधी-सिरसी मार्ग निर्माण	FP/MP/Road/422297/2023	4.376						
		Total	7.262						
	महायोग		81.4957					3 किता	81.4957

2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक

(ख) उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार गोपद बनास के प्रतिवेदन दिनांक 21.06.2024 20.07.2024 एवम् दिनांक 13.08.2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार- निरंक
2. समुदायिक अधिकार-निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2024

क्र. I-197366-2024.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक I-197366-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 29th November 2024

No./I/197368/2024 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act, applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals of communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This forest block lies between N-24⁰14'11.15" to N-24⁰14'46.68" North Latitude and E-81⁰49'22.01" to E-81⁰49'55.00" East Longitude.

SCHEDULE

District-Sidhi

Tehsil- Gopad Banas

Forest Division- Sidhi

Forest Range- Sidhi

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1.	Andhari Gadai/2	Andhari Gadai	Government Revenue land (Non-Forest Land)	65/2	33.000	North - Proposed protected forest block from pillar No. 1 to 4 Artificial forest boundary. East- Proposed protected forest block from pillar No. 4 to 9 Artificial forest boundary. South- Proposed protected forest block from Pillar No. 9 to 10 and Pillar No. 10 to 13, the drain attached to natural forest boundary and artificial forest boundary from Pillar No. 13 to 21. West- Proposed protected forest block from from Pillar No. 21 to 23 and Pillar No. 1 Artificial forest boundary.
				48/2	41.2337	
				48/1/2	7.2620	
				Total	81.4957	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In Sidhi district, the equivalent non-forest land received in lieu of the affected forest land for laying pipeline and other works under the group water supply scheme operated by General Manager M.P. Jal Nigam Limited and the reasons for transfer/transfer in favour of the Forest Department in the construction of Sidhi-Sirsi road and Amilaha-Badesar road proposed by Executive Engineer Public Works Department Division Sidhi are as follows.

S.N.	Project Name	Proposal Number	Affected Area	Order Number/Date Collector Sidhi	Village Name	Original khasra number	Superficie total de saramplon en hectare	Khasra Number emitido	To the Forest department handed over portion of land
1.	Sidhi district for laying pipe line and other work under the group water supply scheme operated by General Manager, M.P. Jal Nigam Limited.	FP/MP/WATER/463272/2024	7.3519	0272/A-20(3)/2023-24 date 30.05.2024	Andhari Gadai	65	48.270	65/2	33.000
		FP/MP/Pipeline/466806/2024	16.7328						
		FP/MP/WATER/457813/2024	2.935						
		460251 (Vastua MBR (STR Sidhi)	4.6345						
		Other object	1.3458						
		Total	33.000						
2.	Sidhi district for laying pipe line and other work under the group water supply scheme operated by General Manager, M.P. Jal Nigam Limited.	Vadiya MBR (sidhi gulab sagar MBS proposal No. 458852(STR Sidhi)	2.8897	0004/A-20(3)/2024-25 date 18.07.2024	Andhari Gadai	48	65.900	48/2	41.2337
		Dhanauli MBR (sidhi gulab sagar MBS) proposal No. 459118 (STR Sidhi)	1.3453						
		FP/MP/WATER/463261/2024	15.3592						
		(sidhi gulab sagar MBS) proposal No. 465009 (STR Sidhi)	14.8712						
		Other object	6.7683						
		Total	41.2337						
3.	Amilaha-Badesar Road	FP/MP/Road/472506/2024	2.886	0005/A-20(3)/2024-25 date 29.07.2024	Andhari Gadai	48/1	24.6663	48/1/2	7.2620
4.	Sidhi-Sirsi Road	FP/MP/Road/422297/2023	4.376						
		Total	7.262						
		Grand Total	81.4957						81.4957

2. Details of Other Reason - Nil

(B) The Khasara wise details mentioned in schedule of recorded rights on the above land as per report dated 21.06.2024, 20.07.2024 and 13.08.2024 of Tehsildar Gopad Banas are as under.

1. Individual Right - Nil
2. Community Rights - Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of India Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2024

क्रमांक/1/197373/2024 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 24°49'59.031" से 24°50'28.348" उत्तर अक्षांश तथा 75°10'26.652" से 75°11'17.353" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूचीजिला-नीमच
वनमंडल- नीमचतहसील- सिंगोली
परिक्षेत्र- रतनगढ़

अ.क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	डाबों (सी.ए.)	डाबों	शासकीय राजस्व भूमि (गैर-वनभूमि)	1/2	39.00	उत्तर- मुनारा क्रमांक 1 से 7 तक कृत्रिम वन सीमा एवं राजस्व भूमि ।
		जैथालिया	शासकीय राजस्व भूमि (गैर-वनभूमि)	247/2	12.05	पूर्व- मुनारा क्रमांक 7 से 10 तक कृत्रिम वन सीमा एवं राजस्व भूमि
				247/3/2/2	3.00	दक्षिण- मुनारा क्रमांक 10 से 17 तक कृत्रिम वन सीमा एवं राजस्व भूमि ।
				248/2	08.00	
				247/3/1	7.08	
52/1	3.70	पश्चिम- मुनारा क्रमांक 17 से 22 एवम् 1 तक कृत्रिम वन सीमा एवं राजस्व भूमि ।				
				योग	72.83	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. (I) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवम् जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल (म.प्र.) के आदेश क्रमांक 6-MPC 031/2021-BHO/389 दिनांक 10.05.2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच की स्वीकृत परियोजना परवनी जलाशय निर्माण में प्रभावित 8.80 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 8.80 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 8.80 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक 62/अ-20(3)/2022-23 आदेश दिनांक 31-03-2023 एवम् प्रकरण क्रमांक 0237/अ-20(3)/2023-24 आदेश दिनांक 06-02-2024 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किए जाने के कारण।

(II) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवम् जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल (म.प्र.) के आदेश क्रमांक 6-MPC 063/2021-BHO दिनांक 11.05.2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच की स्वीकृत परियोजना बाणदा जलाशय निर्माण में प्रभावित 25.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 25.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 25.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक 62/अ-20(3)/2022-23 आदेश दिनांक 31-03-2023 एवम् प्रकरण क्रमांक 0237/अ-20(3)/2023-24 आदेश दिनांक 06-02-2024 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किए जाने के कारण।

(III) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवम् जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल (म.प्र.) के आदेश क्रमांक FP/MP/ROAD/ 425261/2023 दिनांक 15-07-2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग नीमच की स्वीकृत परियोजना भोजपुरा से नवलपुरा मार्ग निर्माण में प्रभावित 2.189 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 2.50 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 2.50 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक 119/अ-20(3)/2022-23 आदेश

दिनांक 06-06-2023 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किए जाने के कारण।

(IV) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल (म.प्र.) के आदेश क्रमांक FP/MP/ROAD/422712/2023 दिनांक 25-07-2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग नीमच की स्वीकृत परियोजना साण्डेश्वर चोराहे से साण्डेश्वर महादेव मंदिर तक मार्ग निर्माण में प्रभावित 1.375 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1.50 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 1.50 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक 119/अ-20(3)/2022-23 आदेश दिनांक 06-06-2023 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किए जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण-

(I) कलेक्टर, जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक 62/अ-20(3)/2022-23 आदेश दिनांक 31-03-2023 एवम् प्रकरण क्रमांक 0237/अ-20(3)/2023-24 आदेश दिनांक 06-02-2024 से कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच की प्रस्तावित सिंचाई परियोजना गंगाबावड़ी जलाशय निर्माण में प्रभावित रकबा 28.25 हेक्टेयर वनभूमि के बदले में ग्राम डाबी एवम् जेथलिया, तहसील सिंगोली स्थित रकबा 28.25 हेक्टेयर राजस्व भूमि वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल नीमच को हस्तांतरित अथवा नामांतरित की गई है।

(II) कलेक्टर, जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक 119/अ-20(3)/2022-23 आदेश दिनांक 06-06-2023 से कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण संभाग नीमच की प्रस्तावित अरनिया से मेंडकेश्वर महादेव मंदिर तक मार्ग निर्माण में प्रभावित रकबा 2.816 हेक्टेयर वनभूमि के बदले में ग्राम जेथलिया, तहसील सिंगोली स्थित रकबा 3.08 हेक्टेयर राजस्व भूमि वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल नीमच को हस्तांतरित अथवा नामांतरित की गई है।

(III) कलेक्टर, जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक 0239/अ-20(3)/2023-24 आदेश दिनांक 11-06-2024 से कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग की प्रस्तावित तारखाजी माइक्रो सिंचाई परियोजना निर्माण में प्रभावित रकबा 3.70 हेक्टेयर वनभूमि के बदले में ग्राम जेथलिया, तहसील सिंगोली स्थित रकबा 3.70 हेक्टेयर राजस्व भूमि वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल नीमच को हस्तांतरित अथवा नामांतरित की गई है।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार, तहसील सिंगोली के प्रतिवेदन दिनांक 03.11.2023, 11.01.204 एवम् 05-07-2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2024

क्र. I-197373-2024.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक I-197373-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 29th November 2024

No./1/197373/2024 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act ,1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas Specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner ,except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 24°49'59.031" to 24°50'28.348" North Latitude and 75°10'26.652" to 75°11'17.353" East Longitude.

Schedule

District:- Neemuch

Tahsil:- Singoli

Forest Division:- Neemuch

Forest Range:- Ratangarh

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
01	Dabi (C.A.)	Dabi	Government Revenue Land (Non Forest Land)	1/2	39.00	North- Artificial Forest boundary from Pillar Number 1 to 7 and Revenue land. East - Artificial Forest boundary from Pillar Number 7 to 10 and Revenue land. South- Artificial Forest boundary from Pillar Number 10 to 17 and Revenue land. West- Artificial Forest boundary from Pillar Number 17 to 22 and 1 and Revenue land.
				Jethaliya	Government Revenue Land (Non Forest Land)	
		247/3/2/2	03.00			
		248/2	08.00			
		247/3/1	7.08			
52/1	3.70					
		Total		06	72.83	

Reason-for publication of Notification:-

1.(I) In accordance with the condition laid down in the Government of India, Ministry of Environment , Forest & Climate Change, Regional Office, Bhopal (M.P.) order No. 6-MPC 031/2021-BHO/389 dated 10-05-2021 and in lieu of 8.80 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Parwani Tank of The Executive Engineer , Water Resources Division Neemuch (M.P.) the above mentioned Non Forest Land of 8.80 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. 62/A-20(3)/2022-23 dated 31-03-2023 and order No. 0237/A-20(3)/2023-24 dated 06-02-2024 of Collector Neemuch for the purpose of compensatory afforestation.

(II) In accordance with the condition laid down in the Government of India, Ministry of Environment , Forest & Climate Change, Regional Office, Bhopal (M.P.) order No. 6-MPC 063/2021-BHO dated 11-05-2022 and in lieu of 25.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Banda Tank of The Executive Engineer , Water Resources Division Neemuch (M.P.) the above mentioned Non Forest Land of 25.00 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. 62/A-20(3)/2022-23 dated 31-03-2023 and order No. 0237/A-20(3)/2023-24 dated 06-02-2024 of Collector Neemuch for the purpose of compensatory afforestation.

(III) In accordance with the condition laid down in the Government of India, Ministry of Environment , Forest & Climate Change, Regional Office, Bhopal (M.P.) order No. FP/MP/ROAD/425261/2023 dated 15-07-2024 and in lieu of 2.189 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Bhojpura to Navalpura Road of The Executive Engineer, Public Works Division Neemuch (M.P.) the above mentioned Non Forest Land of 2.50 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. 119/A-20(3)/2022-23 dated 06-06-2023 of Collector Neemuch for the purpose of compensatory afforestation.

(IV) In accordance with the condition laid down in the Government of India, Ministry of Environment , Forest & Climate Change, Regional Office, Bhopal (M.P.) order No. FP/MP/ROAD/422712/2023 dated 25-07-2024 and in lieu of 1.375 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sandeshwar Square to Sandeshwar Mahadev Mandir Road of The Executive Engineer, Public Works Division Neemuch (M.P.) the above mentioned Non Forest Land of 1.50 hectare

transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. 119/A-20(3)/2022-23 dated 06-06-2023 of Collector Neemuch for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons-

(I) With reference to The Executive Engineer, Water Resources Division, Neemuch's proposed irrigation scheme, Ganga Bawdi tank 28.25 hectares forest land, In lieu of 28.25 hectares revenue land located in village Dabi and Jethliya, Tehsil Singoli has been transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. 62/A-20(3)/2022-23 dated 31-03-2023 and order No. 0237/A-20(3)/2023-24 dated 06-02-2024 of Collector Neemuch for the purpose of compensatory afforestation.

(II) With reference to The Executive Engineer, Public Works Division, Neemuch's proposed Arniya to Mendhkeshwar Mahadev Mandir Road area 2.186 hectares forest land, In lieu of 3.08 hectares revenue land located in village Jethliya, Tehsil Singoli has been transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. 119/A-20(3)/2022-23 dated 06-06-2023 of Collector Neemuch for the purpose of compensatory afforestation.

(III) With reference to The Executive Engineer, Water Resources Division, proposed Takhaji irrigation scheme, 3.70 hectares forest land, In lieu of 3.70 hectares revenue land located in village Jethliya, Tehsil Singoli has been transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. 0239/ A-20(3)/2023-24 dated 11.06.2024 of Collector Neemuch for the purpose of compensatory afforestation.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report dated 03-11-2023, 11-01-2024 and 05-07-2024 of Tehsildar, Tehsil- Singoli are as under.

1. Individual Rights:- Nil

2. Community Rights:- Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 3676-भू-अर्जन-24-प्र.क्र.-14-अ-82-2023-24

रतलाम, दिनांक 28 अक्टूबर 2024

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "अनुभाग रतलाम शहर के अंतर्गत रविदास चौक से करमदी मार्ग (फोरलेन) हेतु जिला रतलाम की तहसील रतलाम शहर के ग्राम करमदी के 14 खाताधारकों की निजी भूमि परियोजना के लिये आवश्यकता होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2ए/भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।
अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करे।
नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	कृषकगण का नाम व पिता का नाम	सर्वे क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
1	हीरालाल पिता बालाराम कुलम्बी निवासी करमदी	339/17	0.690	—	0.690	टयुबवेल-1, फलदार वृक्ष-1, गैर फलदार वृक्ष-1
2	उकारलाल, राजेश पिता शंकरलाल, देवकन्याबाई, मंजूबाई ललिताबाई पिता शंकरलाल सावित्री देवा शंकरलाल जाति कुलम्बी निवासी करमदी	341/2	0.140	—	0.140	टयुबवेल-1, गैर फलदार वृक्ष-1
3	मनोहरलाल पिता अनोखीलाल दुर्गाबाई देवा अनोखीलाल नि० करमदी	341/1	0.150	—	0.150	—
4	बाबूलाल भेरूलाल मुकेश पुनमचन्द्र पिता मांगू बसन्ती नाथी शारदा पिता मांगू जाति भील निवासी करमदी	350	0.270	—	0.270	कुआँ-1, फलदार वृक्ष-1, गैर फलदार वृक्ष-1
5	ज्ञान विवेक प्रसारण समिति रतलाम द्वारा सचिव डॉ श्रवण कुमार शुक्ला नि० रतलाम	353/5	0.060	—	0.060	मकान गडर-1, फलदार वृक्ष-5
6	नागु पिता रामाजी जाति बलाई नि० करमदी	353/4	0.200	—	0.200	कमरा पक्का-1 फलदार वृक्ष-5, गैर फलदार वृक्ष-1
7	अम्बाराम पिता नवल जाति बलाई नि० करमदी	356/2	0.020	—	0.020	गैर फलदार वृक्ष-15
8	नंदराम बा.कन्हैयालाल, संतोष ना.बा.पिता नाथू सर.माता रम्भाबाई व रम्भाबाई देवा नाथू जाति भील नि० करमदी	355	0.120	—	0.120	फलदार वृक्ष-2 गैर फलदार वृक्ष-1
9	रामु पिता भागीरथ व पुत्री रामकन्या पिता भागीरथ व माता अबन्ताबाई देवा भागीरथ जाति बलाई नि० करमदी	353/3	0.180	—	0.180	—
10	निलेश पिता चंदनमल पिरोदिया नि० रतलाम	353/2	0.240	—	—	—
11	ओमप्रकाश पिता शिवनारायण जाति कुलम्बी नि० करमदी	243/1/1	0.060	—	—	फलदार वृक्ष-5 गैर फलदार वृक्ष-1
12	परमानंद, दिलिप पिता शंकरलाल, जाति बलाई नि० करमदी	251/3/3	0.240	—	0.240	कमरा चदर-1 फलदार वृक्ष-4
13	अम्बाराम, रामचन्द्र, मोहन, देवीलाल हेमराज पिता नवल, वालीबाई देवा नवल, मांगुबाई पिता नवल जाति बलाई नि० करमदी रतलाम भूमिस्वामी	353/1	0.030	—	0.030	—
14	ओमप्रकाश पिता शिवनारायण जाति कुलम्बी नि० करमदी	242/1	0.070	—	—	—
	कुल		2.470	—	2.470	

क्र. 567-भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र.-0007-अ-82-2024-25

रतलाम, दिनांक 18 नवम्बर 2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक संशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

—:अनुसूची (1):—

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	7.045 हेक्टर

—:अनुसूची (2):—

(1) भूमि का विवरण

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| (क) जिला | :- रतलाम |
| (ख) तहसील | :- जावरा |
| (ग) ग्राम | :- हुनखेड़ी |
| (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल | :- 7.045 हेक्ट. |

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	63/3	0.136		
2	154	0.323		
3	151	0.006		
4	153	0.090		
5	152/1	0.020		
6	152/2	0.074		
7	156	0.800		
8	158	0.202		
9	159/1	0.106		
10	159/2	0.007		
11	160/1	0.337		
12	160/2	0.343		
13	149/3	0.004		
14	149/4	0.006		
15	161	0.131	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
16	164/2	0.277		
17	164/3	0.299		
18	164/4	0.034		
19	195/1	0.157		
20	172/1	0.145		
21	173	0.508		
22	194/1	0.370		
23	194/2	0.130		
24	193/2	0.547		
25	193/3	0.005		
26	197	0.003		
27	198	0.027		
28	199	0.481		
29	200	0.012		
30	192	0.141		
31	208	0.327		
32	209/1	0.182		
33	211/1/1	0.381		
34	211/1/2	0.434		
कुल रकबा		7.045		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 569-भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र.-0006-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

—:अनुसूची (1):—

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	7.269 हेक्टर

—:अनुसूची (2):—

(1) भूमि का विवरण

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| (क) जिला | :- रतलाम |
| (ख) तहसील | :- जावरा |
| (ग) ग्राम | :- उपलई |
| (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल | :- 7.269 हेक्ट. |

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	697	0.200	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
2	740/1	0.588		
3	740/2	0.030		
4	703	0.085		
5	698/1	0.130		
6	698/2	0.260		
7	702	0.061		
8	700	0.545		
9	699	0.001		
10	701	0.492		
11	705	0.151		
12	739	0.692		
13	691	0.086		
14	690	0.049		
15	741	0.350		
16	744	0.350		
17	742	0.040		
18	746/2	0.018		
19	752	0.342		
20	751	0.500		
21	757	0.947		
22	759/2	0.170		
23	758	0.664		
24	775/2	0.160		
25	776/1	0.033	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
26	776/2	0.130		
27	776/3	0.130		
28	776/4	0.065		
कुल रकबा		7.269		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा के समक्ष आवेग यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 572-भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र.-0005-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निधारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

—:अनुसूची (1):—

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	9.697 हेक्टर

—:अनुसूची (2):—

(1) भूमि का विवरण	
(क) जिला	:- रतलाम
(ख) तहसील	:- जावरा
(ग) ग्राम	:- रेवास
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 9.697 हेक्टर

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	15	0.084	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
2	16	0.630		
3	91/793	0.530		
4	91/1	0.240		
5	90	0.980		
6	89/1	0.186		
7	88	0.625		
8	104	0.580		
9	100	0.648		
10	158/2	0.029		
11	159	0.899		
12	162	0.142		
13	161	0.166		
14	164	0.612		
15	166	0.006		
16	165	0.154		
17	229	0.496		
18	168	0.060		
19	228	0.303		
20	227	0.554		
21	226	0.203		
22	239	0.015		
23	240/1	0.060		
24	242	0.285		
25	225	0.100		
26	241	0.564		
27	247	0.474		
28	248	0.072		
कुल रकबा		9.697		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 573-भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र.-0004-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

—: अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	4.712 हेक्टर

—: अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला	:- रतलाम
(ख) तहसील	:- जावरा
(ग) ग्राम	:- ललियाना
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 4.712 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्ट. में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	201	0.592	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल
2	205	0.320		
3	204/1	0.043		
4	206/1	0.180		
5	206/2	0.181		
6	207/1	0.236		
7	207/2	0.424		
8	213	0.733		
9	214/1	0.032		
10	212/1/1	0.176		
11	212/1/2	0.335		
12	212/1/3	0.087		
13	215/2	0.632		
14	217	0.130		
15	219	0.041		
16	222	0.011		
17	218/1	0.277		
18	218/2	0.041		
19	218/3	0.164		
20	221	0.077		
कुल रकबा		4.712		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 575-भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र.-0003-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

—:अनुसूची (1):—

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	4.552 हेक्टर

—:अनुसूची (2):—

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला	:- रतलाम
(ख) तहसील	:- जावरा
(ग) ग्राम	:- उदियाखेड़ी
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 4.552 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	2	0.027	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
2	3/1	0.655		
3	3/2/1	0.317		
4	3/2/2	0.059		
5	122	0.192		
6	123	0.024		
7	124/1	0.139		
8	124/2	0.024		
9	11/1/1	0.107		
10	11/1/2	0.015		
11	121/1	0.156		
12	121/2	0.386		
13	121/3	0.264		
14	130	0.167		
15	120/2	0.010		
16	132	0.169		
17	131	0.346		
18	133	0.482		
19	134	0.070		
20	135	0.531		
21	137	0.077		
22	136	0.335		
कुल रकबा		4.552		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 578-भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र.-0002-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

--:अनुसूची (1):--

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	3.965 हेक्टर

--:अनुसूची (2):--

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला	:- रतलाम
(ख) तहसील	:- जावरा
(ग) ग्राम	:- केरवासा
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 3.965 हेक्ट.

1	435/1	0.582	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल
2	435/2/1	0.120		
3	435/2/2/1	0.395		
4	438/1/1/2	0.063		
5	438/1/1/1	0.116		
6	441/1	0.395		
7	438/2	0.445		
8	440	0.393		
9	439	0.370		
10	446/1	1.080		
11	445	0.006		
कुल रकबा		3.965		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 579/580-भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र.-0013-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	6.138 हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण	
(क) जिला	:- रतलाम
(ख) तहसील	:- जावरा
(ग) ग्राम	:- डोडियाना
(घ) निजी भूमि को अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 6.138 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	237/1	0.024		
2	237/2	0.611		
3	239/1/1	0.294		
4	239/5	0.579		
5	239/7	0.244		
6	239/2	0.401		
7	239/15	0.760		
8	239/22	0.055		
9	239/4	0.279		
10	239/20	0.223		
11	239/18/1	0.111	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
12	239/16/1	0.018		
13	239/16/2	0.001		
14	259/1	0.482		
15	259/2/2	0.373		
16	259/2/1	0.005		
17	259/4	0.496		
18	260	0.008		
19	267	0.675		
20	266/1	0.212		
21	268	0.263		
22	269	0.024		
कुल रकबा		6.138		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है।

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

--:अनुसूची (1):--

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	7.921 हेक्टर

--:अनुसूची (2):--

(1) भूमि का विवरण	
(क) जिला	:- रतलाम
(ख) तहसील	:- जावरा
(ग) ग्राम	:- भूतेड़ा
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 7.921 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	412/1/2	0.016		
2	411/1/1/1	0.017		
3	408/2/1/1	0.023		
4	408/2/1/2	0.005		
5	408/1/1/1	0.071		
6	408/1/3/1	0.046		
7	408/1/2/1	0.055		
8	407/2	0.081		
9	402/1	0.097		
10	401/1/1	0.061		
11	367/1	0.040		
12	367/2/1/1	0.025		
13	367/2/5/2	0.004		
14	367/2/1/2	0.003		
15	367/2/2/1	0.002		
16	367/2/4	0.004		
17	367/2/3	0.019		
18	397/2	0.006		
19	396/1/1	0.006		
20	366/2	0.037		
21	365/1/1/1	0.003		
22	390/1/1	0.010		
23	364/1/1	0.061		
24	332/1	0.018		
25	329	0.032		
26	328/1	0.097		
27	328/2	0.014		
28	323	0.023		
29	321	0.056		
30	330/1/1/1	0.006		
31	330/1/1/2	0.250		
32	330/2/1	0.030		
33	319	0.070		
34	320	0.182		
35	318	0.207		
36	317	0.174		
37	695	0.057		

संभागीय प्रबंधक
म.प्र.सड़क विकास
निगम उज्जैन(म.
प्र)

उज्जैन-जावरा के
मध्य 4-लेन पेव्ड
शोल्डर ग्रीनफील्ड
एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे
का हाइब्रिड एन्युटी
मॉडल

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
38	316	0.060	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म. प्र)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
39	698/1	0.016		
40	315/1	0.200		
41	314/1	0.276		
42	314/2	0.265		
43	702	0.032		
44	269/2	0.165		
45	267/1	0.374		
46	707	0.205		
47	266	0.180		
48	265	0.155		
49	263	0.270		
50	714/1/1	0.001		
51	716/1/1	0.018		
52	716/2	0.067		
53	717/1	0.024		
54	718/2	0.038		
55	719	0.363		
56	720	0.004		
57	261/1	0.309		
58	261/2/1	0.060		
59	260/1	0.014		
60	260/3	0.236		
61	259	0.187		
62	258	0.040		
63	722/1	0.235		
64	722/2	0.240		
65	722/3	0.010		
66	723/1	0.471		
67	723/2	0.210		
68	725	0.206		
69	726	0.009		
70	747/1	0.001		
71	750	0.045		
72	751/1/1	0.030		
73	751/1/2	0.025	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म. प्र)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
74	751/2	0.253		
75	752/1	0.104		
76	752/2	0.130		
77	753/1	0.320		
78	753/2	0.010		
79	754/1	0.155		
कुल रकबा		7.921		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 587-भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र.-0009-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

—:अनुसूची (1):—

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	10.115 हेक्टर

—:अनुसूची (2):—

(1) भूमि का विवरण	
(क) जिला	:- रतलाम
(ख) तहसील	:- जावरा
(ग) ग्राम	:- हनुमंतिया
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 10.115 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	84/1	0.086		
2	84/2	0.349		
3	85/1	0.267		
4	85/2/2	0.055		
5	85/3/2	0.018		
6	89/1	0.020		
7	101	0.041		
8	102	0.323		
9	103/1	0.071		
10	103/3/1	0.010		
11	103/3/2	0.173		
12	107/2	0.191		
13	107/1	0.200		
14	120/1	0.523		
15	120/2	0.001		
16	110/1/4	0.121		
17	110/1/3	0.197		
18	110/2	0.242		
19	110/1/1	0.121		
20	110/1/2	0.076		
21	111	0.095		
22	119/2	0.002		
23	119/1	0.022		
24	115	0.129		
25	112/2	0.010		
26	114/1	0.125		
27	114/2	0.098		
28	113	0.417		
29	110/4/2	0.043		
30	141/1	0.067		
31	127	0.002		
32	134/3	0.075		
33	137	0.519		
34	138/2	0.061		
35	139	0.502		
36	276	0.117		
37	140/2/1	0.066		

संभागीय प्रबंधक
म.प्र.सड़क विकास
निगम उज्जैन(म.
प्र)

उज्जैन-जावरा के
मध्य 4-लेन पेक्ड
शोल्डर ग्रीनफील्ड
एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे
का हाइब्रिड एन्युटी
मॉडल

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
38	274	0.757	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म. प्र)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
39	140/5	0.002		
40	271	0.174		
41	272/1/1	0.276		
42	272/1/2	0.619		
43	272/2	0.381		
44	294/3/1	0.086		
45	294/2/2/1	0.217		
46	294/2/2/2	0.253		
47	294/2/2/3	0.028		
48	294/1/1	0.017		
49	295	0.190		
50	296/3	0.302		
51	296/2	0.192		
52	296/1/1	0.179		
53	296/1/2	0.052		
54	298/2/2	0.004		
55	298/3/1	0.029		
56	298/3/2	0.064		
57	298/4/2	0.191		
58	298/4/1/2	0.025		
59	298/4/1/1	0.276		
60	298/5/1	0.117		
61	298/5/2	0.215		
62	299	0.005		
63	316	0.029		
कुल रकबा		10.115		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 589-भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र.-0011-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

—:अनुसूची (1):—

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	1.013 हेक्टर

—:अनुसूची (2):—

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- रतलाम

(ख) तहसील

:- जावरा

(ग) ग्राम

:- बामनखेंडी

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

:- 1.013 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	259/3/1	0.029		
2	259/3	0.004		
3	252/7/5/2	0.002		
4	257/2	0.005		
5	256/2	0.006		
6	254/2/1/2	0.009		
7	254/2/1/1/1	0.015		
8	254/2/1/1/2	0.003		
9	254/1/1	0.013		
10	254/1/2	0.016		
11	253/4/4	0.024		
12	253/4/1	0.069		
13	253/4/5	0.012		
14	253/4/3	0.001		
15	253/4/2	0.001		
16	253/5	0.002		
17	217/2/1/2	0.004		
18	229/1/2/1/2	0.003	संभागीय प्रबंधक	उज्जैन-जावरा के
19	229/1/2/2	0.026	म.प्र.सड़क विकास	मध्य 4-लेन पेव्हड
20	229/1/5	0.028	निगम उज्जैन(म.	शोल्डर ग्रीनफील्ड
21	229/1/2/3	0.020	प्र)	एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे
22	229/1/2/1/1	0.003		का हाइब्रिड एन्युटी
23	229/1/4	0.052		मॉडल
24	228/3	0.023		
25	228/1/1	0.005		
26	228/1/2	0.026		
27	228/2	0.059		
28	225/2/4/1	0.035		
29	225/2/4/2	0.014		
30	227/3	0.012		
31	227/4/1	0.102		
32	227/5/1	0.040		
33	70/4/2	0.023		
34	69/2/1/3	0.060		
35	69/1	0.019		
36	68/2/5	0.048		
37	68/2/2	0.200		
	कुल रकबा	1.013		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 591-भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र.-0010-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

—अनुसूची (1):—

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	1.676 हेक्टर

—अनुसूची (2):—

(1) भूमि का विवरण	
(क) जिला	:- रतलाम
(ख) तहसील	:- जावरा
(ग) ग्राम	:- सुजावता
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 1.676 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	92/3/1/3	0.023		
2	92/3/2/2	0.009		
3	92/3/2/1	0.005		
4	92/1/5	0.045		
5	92/1/1	0.026		
6	92/3/5	0.023		
7	92/3/3	0.050		
8	92/2/1/2	0.018		
9	92/2/1/1/1/2	0.008		
10	92/2/1/1/2	0.008		
11	96/1/1/1	0.036		
12	96/1/1/2	0.003		
13	96/4	0.006		
14	96/5	0.002		
15	96/7	0.003		
16	96/8	0.002		
17	96/9	0.002		
18	96/12	0.006		
19	96/11/1	0.002		
20	96/6	0.002		
21	96/1/2	0.002		
22	97/5	0.032		
23	97/2/3	0.001		
24	97/2/1	0.021		
25	98/2/1/2/1/1	0.040		
26	98/2/1/2/2/1	0.039		
27	98/2/1/2/2/2	0.004		
28	98/2/1/2/1/2	0.003		
29	98/1/1	0.029		
30	98/1/3	0.004		
31	99/2	0.006		
32	104/1/1	0.016		
33	105/1/1/1	0.031		
34	107/2	0.026		
35	108/2	0.029		
36	116/2/1	0.007		
37	116/2/2	0.008		

संभागीय प्रबंधक
म.प्र.सड़क विकास
निगम उज्जैन(म.
प्र)

उज्जैन-जावरा के
मध्य 4-लेन पेव्हड
शोल्डर ग्रीनफील्ड
एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे
का हाइब्रिड एन्युटी
मॉडल

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
38	116/2/3	0.031	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म. प्र)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
39	118/1	0.049		
40	119/2/3	0.059		
41	134/1	0.020		
42	121/1	0.027		
43	122/2/1/1	0.041		
44	122/2/1/2	0.013		
45	123/1	0.084		
46	124/1/1	0.024		
47	125/1/2/1	0.057		
48	125/2/3/1/1	0.023		
49	125/2/3/1/2	0.009		
50	125/2/3/1/3	0.005		
51	125/2/3/2	0.007		
52	125/2/3/3	0.009		
53	374/1	0.016		
54	375/1/2/2	0.009		
55	375/2/1/2	0.007		
56	383/2/1	0.037		
57	384/1	0.080		
58	377/1	0.014		
59	379/1/1	0.024		
60	379/1/3/1	0.049		
61	379/1/3/2	0.332		
62	379/1/3/3	0.054		
63	379/1/3/4	0.011		
64	379/1/3/5	0.008		
कुल रकबा		1.676		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबन्ध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है।

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

—:अनुसूची (1):—

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	8.845 हेक्टर

—:अनुसूची (2):—

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला	:- रतलाम
(ख) तहसील	:- जावरा
(ग) ग्राम	:- जावरा
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 8.845 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	176/2/1	0.001		
2	176/2/2	0.014		
3	176/2/3	0.001		
4	176/8/1	0.004		
5	176/8/2	0.004		
6	176/8/3	0.012		
7	176/8/4	0.004		
8	176/8/5	0.012		
9	176/8/6	0.004		
10	176/4	0.004		
11	176/3	0.061		
12	175/3/2	0.017		
13	175/3/3	0.017		
14	39/1/2/1/1	0.103		
15	45/2/1	0.040		
16	45/2/2	0.040		
17	45/3/1	0.011		
18	45/3/2	0.011		
19	45/3/3	0.011		
20	45/3/4	0.011		
21	45/3/5	0.011		
22	45/3/6	0.011		
23	45/1	0.028		
24	46/1/1	0.130		
25	46/2/1/2	0.028		
26	49/1/1/1	0.032		
27	49/1/2	0.112		
28	49/2/1	0.100		
29	49/3/1	0.201		
30	50/1	0.255		
31	50/2	0.150		
32	51/2/1/1	0.130		
33	51/2/1/2	0.070		
34	51/2/2	0.067		
35	51/1/3	0.243		
36	51/3/1	0.014		
37	55/4/1	0.174		

संभागीय प्रबंधक
म.प्र.सड़क विकास
निगम उज्जैन(म.
प्र)

उज्जैन-जावरा के
मध्य 4-लेन पेव्हड
शोल्डर ग्रीनफील्ड
एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे
का हाइब्रिड एन्युटी
मॉडल

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
38	55/4/2	0.450		
39	57	0.025		
40	58/2	0.063		
41	58/3	0.063		
42	58/1	1.315		
43	58/4	0.373		
44	58/5	0.042		
45	58/6/1	0.087		
46	58/7/1	0.013		
47	58/8/1	0.013		
48	58/9/1	0.040		
49	58/9/2	0.086		
50	60/1/1	0.027		
51	60/2	0.027		
52	60/3	0.040		
53	60/4	0.032		
54	60/5/1	0.035		
55	60/5/2/2	0.007		
56	60/6	0.037		
57	60/7	0.037		
58	61/1/1/1	0.150		
59	61/1/2/3	0.012		
60	61/2/1/1	0.021		
61	61/2/2	0.059		
62	68/1	0.033		
63	68/2	0.022		
64	69/1/1	0.047		
65	69/2/1	0.016		
66	219/1/1	0.004		
67	219/1/2	0.004		
68	216/4/1	0.003		
69	216/4/2	0.002		
70	216/1/1/1/2	0.037		
71	216/1/1/1/1/1	0.051		
72	185/1/1/1/2	0.015		

संभागीय प्रबंधक
म.प्र.सड़क विकास
निगम उज्जैन(म.
प्र)

उज्जैन-जावरा के
मध्य 4-लेन पेव्ड
शोल्डर ग्रीनफील्ड
एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे
का हाइब्रिड एन्युटी
मॉडल

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
73	185/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.035	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
74	185/1/3	0.010		
75	185/1/1/1/1/1/1/1/2	0.106		
76	188/1/1	0.361		
77	188/2/1/1	0.029		
78	188/2/1/2	0.003		
79	188/2/1/3	0.003		
80	188/2/1/4	0.003		
81	188/2/1/5	0.009		
82	188/2/1/6	0.009		
83	188/2/1/7	0.005		
84	188/2/1/8	0.006		
85	192/2/1	0.062		
86	192/3/1	0.023		
87	194/1/2/2	0.044		
88	194/1/4	0.005		
89	194/1/5	0.004		
90	194/1/6	0.005		
91	194/1/7	0.003		
92	169/2/1/1	0.017		
93	169/2/1/2	0.005		
94	169/1	0.008		
95	168/1/2	0.011		
96	168/2/1	0.051		
97	166/1	0.007		
98	172/1/1/1	0.003		
99	172/2/3/6	0.001		
100	172/2/3/3/2	0.003		
101	172/2/1/1/3	0.001		
102	172/2/1/1/5	0.001		
103	244	0.125		
104	245/1/1/1/1/1	0.086		
105	245/1/1/1/1/2	0.014		
106	245/1/1/1/2	0.033		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
107	245/1/1/1/3	0.008		
108	245/1/1/2	0.020		
109	245/2/1/2	0.003		
110	164/1/2	0.080		
111	163/3	0.014		
112	163/4/1	0.012		
113	163/4/2	0.012		
114	163/5/1	0.010		
115	163/6/7	0.008		
116	163/6/3	0.032		
117	132/4/4	0.001		
118	131/2	0.009		
119	249/3	0.003		
120	249/4	0.004		
121	249/5	0.010		
122	249/6	0.012		
123	249/7	0.008		
124	249/8	0.004		
125	249/9	0.004		
126	249/10	0.004		
127	249/11	0.003		
128	249/12	0.005		
129	334/2/1/1/1	0.008		
130	334/2/1/1/2	0.008		
131	334/2/1/2	0.004		
132	334/2/3	0.010		
133	333/1/2	0.057		
134	335/1/1/1/1	0.012		
135	335/1/1/1/2	0.003		
136	335/1/1/2	0.003		
137	335/1/2	0.003		
138	335/3	0.003		
139	335/4	0.007		
140	335/5	0.003		
141	335/6	0.003		

संभागीय प्रबंधक म.प्र.
सड़क विकास निगम
उज्जैन(म.प्र)

उज्जैन-जावरा के
मध्य 4-लेन पेव्ड
शोल्डर ग्रीनफील्ड
एक्सेस कंट्रोल्ड
हाईवे का हाइब्रिड
एन्युटी मॉडल

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
142	335/7	0.003		
143	335/8	0.006		
144	332/1/1	0.033		
145	332/1/2	0.002		
146	342/3	0.005		
147	328/1/1	0.072		
148	328/2/1	0.055		
149	314/3/1	0.086		
150	314/4/1	0.077		
151	407	0.029		
152	408/1/1	0.245		
153	409	0.045		
154	410	0.017		
155	405/4/1/2	0.043		
156	400/3/1/1/1	0.054		
157	400/4	0.018		
158	399/4/1	0.037	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्डड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्वुटी मॉडल
159	399/5	0.026		
160	397/1	0.059		
161	395/1	0.021		
162	389/3	0.016		
163	394/1/1	0.071		
164	394/1/2	0.006		
165	394/2	0.033		
166	392/1	0.003		
167	392/4	0.006		
168	392/5	0.003		
169	392/6	0.003		
170	392/7	0.032		
171	430/1/4	0.012		
172	430/2	0.004		
173	430/1/2	0.005		
174	430/1/3	0.004		
175	684/2/1	0.122		
176	684/2/2	0.070		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
177	686/1/1	0.018	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
178	686/1/2	0.018		
179	686/1/3	0.019		
180	686/2/1	0.020		
181	682/1/2/1	0.009		
182	682/1/3/1	0.016		
183	682/1/4/1	0.016		
184	682/2/1	0.070		
185	682/4/1/1	0.004		
186	682/3/2	0.041		
187	687/2/2	0.003		
188	687/2/1	0.003		
189	687/2/3	0.003		
190	797/3/1/3	0.028		
191	797/3/1/4/2	0.009		
192	797/3/2/3	0.004		
193	797/3/3/3	0.028		
194	797/3/5/3	0.025		
195	797/3/6/4/2	0.037		
196	797/3/6/3	0.038		
197	797/3/3/4/1/1	0.038		
198	797/5/2	0.054		
199	797/3/1/7	0.054		
200	797/1/2/2/2/1	0.050		
201	797/1/2/2/2/2	0.010		
कुल रकबा		8.845		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबन्ध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बाथम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 15593-भू-अर्जन-2024

हरदा, दिनांक 21 नवम्बर 2024

चूँकि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.11.2014 के अंतर्गत राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए निजी भूमि की आवश्यकता के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, उपसंभाग, बैतुल के आर.ओ.बी. 199 भिरंगी के निर्माण में भूमि की आवश्यकता होने से निम्न विवरण में वर्णित भूमिस्वामी/भूमिस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका-10 अंतर्गत निर्धारित प्ररूप "ख" में विक्रय करने की सहमति प्रस्तुत कर दी गयी है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 (1) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनांक को छोड़कर, कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उनपर किसी भी प्रकार का विचार किया जावेगा।

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला-हरदा, तहसील खिरकिया, मौजा मांदला, प.ह.नं.12, रा.नि.मं. खिरकिया.

क्र.	भूमि स्वामी का नाम व पिता/पति का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			अन्य संपत्ति
				सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कृष्णाबाई पत्नी हरीश शर्मा, निवासी मांदला	70/1	0.283	0.084	--	0.084	फलदार पौधे

नोट :- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, संभाग भोपाल के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 15595-भू-अर्जन-प्र.क्र. 01-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (7) में वर्णित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

लोक प्रयोजन (आर.ओ.बी. कॉसिंग नम्बर 201 पर मसनगाँव से भिरंगी स्टेशन के मध्य मसनगाँव सिराली एम.डी.आर. रोड पर आर.ओ.बी. के निर्माण कार्य) के लिये ग्राम-कमताडा, तहसील-हरदा जिला हरदा में कुल अर्जित रकबा 1.0575 हेक्ट. एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अनुसूची-1

सक्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)	धारा-12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	47/1	भूस्वामी	कृषिभूमि	0.1100	संध्याबाई बेवा लखनलाल एवं अन्य	अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. (सेतु निर्माण) बैतुल उपसंभाग, बैतुल	आर.ओ.बी. कॉसिंग नम्बर 201 पर मसनगाँव से भिरंगी स्टेशन के मध्य मसनगाँव सिराली एम.डी.आर. रोड पर आर.ओ.बी. के निर्माण
2	44/10	भूस्वामी	कृषिभूमि	0.0750	राधेश्याम पुत्र बाबूलाल		
3	47/12	भूस्वामी	कृषिभूमि	0.4100	उमेशसिंह पुत्र रामकिशन		
4	29/1	भूस्वामी	कृषिभूमि	0.0225	सुंदरलाल, छोटेलाल, रामातार पुत्र ताराचंद्र		
5	28/8	भूस्वामी	कृषिभूमि	0.0700	ओमप्रकाश पुत्र चम्पालाल		
6	28/9	भूस्वामी	कृषिभूमि	0.0200	शिवशंकर पुत्र रामदास		
7	28/6	भूस्वामी	कृषिभूमि	0.3500	सत्यनारायण पुत्र गौरीशंकर		
योग रकबा				1.0575 हेक्टर			

अधिनियम की धारा-11 (4) कि अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय/विकय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर हरदा एवं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरदा में किसी भी कार्य दिवस के दौरान देखा जा सकता है।

उक्त अधिसूचना जिले की वेबसाइट www.harada.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आदित्य सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 25 नवम्बर 2024

क्रमांक/ 10794 /भू-अर्जन/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांकचूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम कचनारिया में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची (1) :-

तहसील : ब्यावरा

जिला : राजगढ़

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव, ग्राम-कचनारिया

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम-कचनारिया की भूमि की आवश्यकता।	1.012	0.200
कुल योग :-		1.012	0.200

-: अनुसूची (2) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	ब्रजलाल, अरविन्द, पप्पू दीपचंद, राजेश पिता गंगाराम, धुरियाबाई बैवा गंगाराम, हिमांशु, सुधांशु पिता मुन्नालाल, निर्मलादेवी बैवा मुन्नालाल जाति खटीक पता नि.ग्रा. ब्यावरा	1291/1	1.012	0.200
योग:-		1	1.012	0.200

कमांक / 10790 / भू-अर्जन / 2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम लसुडलीमहाराजा में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची (1) :—

तहसील : ब्यावरा

जिला : राजगढ़

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव,
ग्राम-लसुडलीमहाराजा

स.क.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम-लसुडलीमहाराजा की भूमि की	1.274	0.183
कुल योग :-		1.274	0.183

—: अनुसूची (2) :—

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	सुमित्राबाई पति केदार 1/2, गोपाल पिता केदार 1/2 जाति दांगी पता ब्यावरा	562/1/1	1.120	0.150
2	कैलाश पिता बापूलाल 1/4, जगदीश पिता बापूलाल 1/4, रामचरण पिता बापूलाल 1/4, अनारबाई बैवा बापूलाल 1/4 जाति दांगी पता ब्यावरा	543/1/1	0.154	0.033
कुलयोग:-		कुलकिता-2	1.274	0.183

क्रमांक/ 10792 /भू-अर्जन/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांकचूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम पगारी में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची (1) :—

तहसील : ब्यावरा

जिला : राजगढ़

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव, ग्राम-पगारी

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम-पगारी की भूमि की आवश्यकता।	0.100	0.080
कुल योग :-		0.100	0.080

—: अनुसूची (2) :—

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	लालजी पिता भंवर जी जाति दांगी पता ब्यावरा	155/1/1/3	0.100	0.080
कुल:-		किता-1	0.100	0.080

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.

**कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) उज्जैन,
जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश**

क्र.-भू-अर्जन-2024-3941-प्र.क्र.-0004-अ-82-2024-25

उज्जैन, दिनांक 26 नवम्बर 2024

प्रारूप- "घ"
(नियम 6 देखिए)

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा - 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक - भू-अर्जन/प्र.क्र./0004/अ-82/2024-25 दिनांक -26.09.2024 द्वारा, राज्य सरकार ने कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना के लिए ग्राम जमालपुरा तहसील उज्जैन जिला उज्जैन से ग्राम सिंगावदा तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.10.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम गंगेड़ी पटवारी हल्का क्रमांक 24	4/3 4/4/2 8/3 44/1 44/2	0.12 0.11 0.40 0.10 0.63

			44/3	0.73
			44/4	0.74
			43	1.70
			40/2	0.02
			40/3	0.02
			46/2	0.03
			42/1	1.94
			42/2	1.58
			45/1	0.45
			45/2	1.12
			41/1	0.45
			82/1/1	0.25
			82/2/1	2.10
			83/1	4.06
			83/2	0.16
			83/3	0.58
			84	0.10
			85	0.16
			213/1	0.51
			213/7/1	0.27
			213/4	0.17
			210/2	0.15
			210/1/1	0.06
			210/3/2/2	0.02
			224	0.33
			225/1	0.41
			225/3	0.88
			225/2/1	0.27
			225/2/2	0.07

			225/2/3	1.20
			226/2	0.07
			223	0.13
			219/1	0.05
			219/2	0.07
			219/3	0.26
			219/4	0.30
			219/5	0.10
			219/6	0.03
			219/7	0.04
			219/8	0.03
			219/9	0.03
			214/2/2/2	0.16
			218	0.90
			217/2	0.25
			217/1	0.29
			216	1.00
			215/1	1.00
			180/1	0.60
			215/2	0.07
			180/2	0.40
			250	2.31
			251	0.13
			270	0.44
			247/1/1	0.16
			247/2/1	1.56
			249	2.50
			253/1	0.03
			447/1/1	0.17
			447/2	0.20
			447/3	0.52
			248	1.68
			448/1	0.03

			475/1/2	0.22
			475/1/1/1/1	0.50
			475/1/1/1/2	0.28
			475/1/1/2	0.13
			476	1.14
			480	0.10
			247/2/2	1.34
			247/1/2	0.06
			106	0.57
			242	0.36
			456	0.69
			520/1	0.46
			520/2	0.34
			179	0.02
			445	0.07
			181/1/2	0.14
			440	0.06
		कुल योग	84	43.88

कृतिका भीमावद, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 7261-भू-अर्जन-2024

छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 नवम्बर 2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

--:अनुसूची:--

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	मोहखेड
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम- घगडिया माल प0ह0न-01 ब.न.-277 रा.नि.मं.-लावाघोघरी
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-0.540 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	152	0.080
2	154/1	0.025
3	154/2	0.015
4	158/1	0.080
5	158/2	0.180
6	158/3	0.120
7	158/4	0.040
	योग :-	कुल रकबा-0.540 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-2 बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 7262-भू-अर्जन-2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

--:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	मोहखेड
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम- रहप प0ह0न-02 ब.न.-499 रा.नि.मं.-लावाघोघरी
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-16.227 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	2	02.569
2	179	0.160
3	181	03.029
4	183/1	0.951
5	183/2	01.161
6	221	01.757
7	229	0.624
8	236	01.283
9	222	0.174
10	223	0.060

11	228	0.210
12	227/1	0.025
13	227/2	0.020
14	227/3	0.020
15	227/4	0.020
16	227/5	0.025
17	227/6	0.040
18	230	01.950
19	231	01.801
20	235	0.348
	योग :-	कुल रकबा-16.227 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-2 बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 7264-भू-अर्जन-2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

--:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	मोहखेड
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम- मेहलारी बाकुल प0ह0न-05 ब.न.-482 रा.नि.मं.-लावाघोघरी
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-04.210 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	183/2	0.160
2	183/7	0.110
3	183/11	0.030
4	183/8	0.090
5	183/9	0.070
6	180/5	0.080
7	180/6	0.100
8	187/1	0.040
9	187/4	0.700
10	187/5	01.600
11	188	01.230
	योग :-	कुल रकबा-04.210 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्प्लेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-2 बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 7265-भू-अर्जन-2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	मोहखेड
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम- कोहटमाल प0ह0न-04 ब.न.-83 रा.नि.मं.-लावाघोघरी
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-48.150 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	70/1	0.308
2	75/5	0.235
3	70/2	0.308
4	75/3	0.236
5	70/3	0.308
6	75/4	0.235
7	71/1	0.809
8	71/2	0.405
9	71/3	0.404

10	71/4	0.454
11	71/5	0.453
12	73	0.999
13	158/1/5	0.121
14	160/1/4	0.087
15	75/1	0.436
16	75/2	0.437
17	75/6	0.169
18	77	01.416
19	137/9	02.023
20	78/1/1	0.124
21	164/2	0.114
22	78/1/2	0.405
23	78/1/3	0.405
24	78/1/4	0.405
25	78/1/5	0.405
26	78/2	01.076
27	164/3	0.113
28	78/3	01.077
29	164/1	0.117
30	82/1	0.706
31	82/2	0.301
32	82/3	0.301
33	127/1/1	0.265
34	129/1	0.194
35	127/1/2	0.266
36	129/2	0.195

37	127/1/3	0.266
38	129/3	0.194
39	127/2	0.583
40	128	01.469
41	130	0.729
42	131	0.474
43	132	0.376
44	136/1/1	0.594
45	136/1/2	0.594
46	136/2	0.275
47	136/3	0.203
48	137/2	02.023
49	137/3	02.023
50	137/4	02.023
51	137/7	01.011
52	137/12	02.023
53	137/8	02.023
54	137/10	02.023
55	137/11	02.023
56	137/13	02.023
57	152	0.883
58	153	01.428
59	154	0.705
60	155	0.364
61	156	0.198
62	157	01.385
63	158/1/1	0.242

64	160/1/1	0.163
65	158/1/2	0.242
66	160/1/2	0.163
67	158/1/3	0.242
68	160/1/3	0.163
69	158/1/4	0.121
70	159/1	0.078
71	158/2	0.242
72	159/2	0.019
73	160/2	0.144
74	161/1	0.416
75	161/2	0.425
76	162/1	0.338
77	162/2	0.023
78	163/1	0.226
79	163/2	0.226
80	163/3	0.225
81	163/4	0.225
82	137/6 (शासकीय भूमि)	मकान स्थित है।
	योग :-	कुल रकबा-48.150 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्प्लेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-2 बांध एवं स्पील निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जम अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 7365-भू-अर्जन-2024

छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 नवम्बर 2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

--अनुसूची--

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	चांद
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम- नौलाझिर प0ह0न-32 ब.न.-146 रा.नि.मं.-चांद
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-01.291 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	5	0.239
2	4/3	0.494
3	18/2	0.190
4	18/4	0.121
5	4/4	0.185
6	18/1	0.062
	योग :-	कुल रकबा-01.291 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स संगम-2 परियोजना के अंतर्गत पंप हाउस क्रमांक-9 निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 7367-भू-अर्जन-2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	चांद
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम- नीलकंठी कला प0ह0न-32 ब.न.-151 रा.नि.मं.-चांद
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-01.552 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	76/1	0.178
2	77/2	0.050
3	77/1	0.158
4	90/1	0.189
5	90/3/1	0.270
6	90/2	0.156
7	93,94,95	0.202
8	92/1,98/1	0.095
9	92/2,98/1,92/1,98/3	0.056
10	97,98/2	0.198
	योग :-	कुल रकबा-01.552 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स संगम-2 परियोजना के अंतर्गत पंप हाउस क्रमांक-9 में चांद-परसगांव मुख्य मार्ग से पंप हाउस तक पहुंच मार्ग निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 727-भू-अर्जन-2024-25-24-अ-82-2024-25

डिण्डौरी, दिनांक 11 नवम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	विक्रमपुर प.ह.नं. 11	0.960 हेक्ट.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 जिला मण्डला	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के बांध स्थल तक पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु
कुल			0.960 हेक्ट.		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के बांध स्थल तक पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in & www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र.02, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 728-भू-अर्जन-2024-25-23-अ-82-2024-25

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	डिण्डौरी	घुसिया माल प.ह. नं. 28	7.084 हेक्ट.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 जिला मण्डला	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के बांध स्थल तक पहुंच मार्ग एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु
कुल			7.084 हेक्ट.		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के बांध स्थल तक पहुंच मार्ग एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in & www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र.02, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 729-भू-अर्जन-2024-25-22-अ-82-2024-25

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
डिण्डौरी	शहपुरा	मरवारी रैयत प.ह. नं. 107	✓ 2.622 हेक्ट.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 जिला मण्डला	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के बांध स्थल तक पहुंच मार्ग एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु
कुल			2.622 हेक्ट.		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के बांध स्थल तक पहुंच मार्ग एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु
- (3) अर्जित. की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in & www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र.02, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्ष सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 3 दिसम्बर 2024

प्रकरण क्रमांक 0006/अ-82/2024-25 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 1 इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आ

—: अनुसूची - 1 :-

परियोजना का नाम :- पार्वती वृहद परियोजना

भूमि/परिसंपत्ति का वर्णन

(क) जिला - सीहोर

(ख) तहसील - श्यामपुर

(ग) ग्राम - मरहेठी

(घ) क्षेत्रफल - 46.646 हैं. भूमि, 272.97 व.मी.परिसंपत्ति

—: अनुसूची - 2 :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (निजी) हे.में	अर्जित रकबा (निजी) हे.में	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	उर्मिला बेवा केशरसिंह बटी राहुल रवीना आ केशरसिंह जाति मीना पता श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	3/3/1	0.368	0.030	
2	सरिता बाई पिता तकतसिंह जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	18/2	0.631	0.370	
		8/4	0.413	0.080	
		16/3	0.303	0.070	
3	अचल सिंह पिता जगन्नाथ जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेशभूमि स्वामी	41/2	0.041	0.010	
		49/2	0.299	0.299	
4	काशीराम पिता कालूराम जाति मैना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	8/5/1	0.150	0.150	
		8/2/1	0.108	0.108	

5	लक्ष्मीनारायण पिता छोटेराम जाति मैना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 पपीताबाई पिता छोटेराम जाति मैना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 कवीताबाई पिता छोटेराम जाति मैना पता निवासी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 सुगनबाई पिता छोटेराम जाति मैना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि 1/4	8/3	0.413	0.057	
6	मुरम्बो पुत्री पुत्री विरानसुख धन्नु आ परसराम बुधराम आ मनीराम जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	8/1	0.550	0.500	
7	सुमनबाई बेवा राजू कार्तिक नाबा कुनाल नाबा पुत्र राजू कल्पना नाबा पलक नाबा पुत्रिया राजू नाबा पता पिपालनेर तहसील हुजूर भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	17/3	0.242	0.120	
		16/2,17	0.392	0.230	
		3/3/2	0.627	0.020	
8	निर्मलाबाई बेवा दीनदयाल जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 विकास पुत्र दीनदयाल जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 विजय पुत्र दीनदयाल जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3	52/3	0.391	0.060	
9	रामबाबू पिता जमनाप्रसाद जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	46/2/2	0.607	0.390	
10	ओमप्रकाश पिता गंगाराम जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	46/2/1	0.348	0.166	
		46/4	0.340	0.165	
11	नितेश पिता भगवानसिंह जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52/2/2	0.052	0.035	
		46/3/1	0.045	0.025	
12	गीताबाई पत्नी जमनाप्रसाद जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	41/1	0.113	0.010	

13	प्रेमलता बेवा हेमराज जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 सचिन ना बा पुत्र हेमराज जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 विकास ना बा पुत्र हेमराज जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 सिमरन ना बा पुत्री हेमराज जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4	46/1/2	0.323	0.120	
14	प्रेमलता बेवा हेमराज सचिन विकास सिमरन पिता हेमराज जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52/2/1	0.085	0.035	
15	तेजसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52/1	0.607	0.607	
16	यूनस खां पिता करामत खां जाति मेवाती पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	182/98/1	0.385	0.085	
17	रामस्वरूप हेमसिंह पिता हरिप्रसाद द्रोपतीबाई गुलाबबाई पुत्री हरिप्रसाद जाति देशवाली पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	112	6.933	0.220	
18	रामगोपाल पिता गोरधन जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/3/4,185/115/9,185/115/10	0.203	0.135	
19	गंगाराम पिता मोतीलाल जाति कुडमी पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/2/4	0.854	0.854	
20	गोरियाबाई पत्नी लीलाकिशन जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/3/3,185/115/9,185/115/10	1.219	0.290	
21	कामताप्रसाद पिता गोदूलाल जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/3/5,185/115/9,185/115/10	1.420	0.300	
22	राधेकिशन पिता गोरेलाल जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/3/6,185/115/9,185/115/10	1.420	0.160	
23	किशनलाल पिता गबरु जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/2/1	0.924	0.500	

24	प्रेमसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	183/120/1	0.809	0.580	
		184/120/1	1.606	1.050	
25	नरवदीबाई बेवा सुरेश जाति नाई पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/1	0.595	0.160	
26	मोसलीम पिता नवी खां जाति मेवाती पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/6	0.526	0.526	
		128/9	0.498	0.498	
27	मोसादिक पिता नवी खां जाति मेवाती पता श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/8	1.011	1.011	
		128/10	0.514	0.450	
		128/16/2	0.405	0.405	
28	मंगूसिंह पिता अनारसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 लाडकुंवरबाई बेवा मनोहरसिंह आजादसिंह पिता मनोहरसिंह कमलेशबाई रीनाबाई पुत्री मनोहरसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2	140/1/1/2	0.980	0.300	
29	कलाबाई बेवा देवकरन जाति भोई पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	185/115/1	0.405	0.405	
30	प्रेमबाई पत्नी छोटेशम जाति कुडमी पता आछारोही सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	185/115/2	0.558	0.558	
31	बापूलाल पिता मुन्नालाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	185/115/3	1.011	0.310	
32	लाडसिंह राकेश पिता बापूलाल तेजकुंवर पुत्री बापूलाल जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	17/1 16/1	1.744	0.370	
33	लखनलाल पिता हरिसिंह जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 राधेश्याम पिता आह जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2	52/5	0.251	0.160	
		46/11	0.360	0.200	
34	जगन्नाथ पिता मुन्नालाल जाति चमार पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	185/115/8	1.113	0.550	
35	अर्जुन सिंह पिता भारत सिंह जाति गुजर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	128/2	0.291	0.200	

36	गीतादेवी पत्नी शंकरलाल जाति चमार पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	128/4	0.749	0.690	
37	रशीद खां पिता घीसे खा जाति मेवाती पता कादरावाद सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/5	0.789	0.789	
38	दीपसिंह पिता बटदूलाल जाति कुडमी पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/7	0.829	0.225	
39	राजेश पिता भगवानसिंह जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52/2/3	0.053	0.035	
		46/3/2	0.045	0.025	
40	अनिल पिता भगवानसिंह जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52/2/4	0.057	0.035	
		46/3/3	0.040	0.025	
41	सुनिता बाई पत्नी तारासिंह जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52/4	0.247	0.161	
42	सरिता बाई पत्नी अजबसिंह जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	49/1	0.606	0.264	
43	जयसिंह पिता रामदयाल जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/3, बनेसिंह पिता रामदयाल जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3, प्रीतम सिंह पिता रामदयाल जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/3	175/41/1	0.113	0.113	
44	बादामबाई बेवा कमल सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/4 ताराबाई पुत्री कमल सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 ठाकुर प्रसाद पुत्र कमल सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/4 रामबाबू पुत्र कमल सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/4	175/41/2	0.113	0.113	
45	पप्पू पिता बटदूलाल जाति जाटव पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	181/24/2	0.433	0.433	

46	धापूबाई पति बेबा बद्रीप्रसाद जाति चमार पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	181/40	0.486	0.486	
47	ज्ञान सिंह पिता मिश्रीलाल जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/5	0.560	0.530	
48	कुमेर सिंह पिता मांगीलाल जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/9	0.560	0.560	
49	धापुबाई बेबा बद्रीप्रसाद जाति चमार पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	3/8	0.560	0.560	
50	रूप सिंह पिता मिश्रीलाल जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	3/6	0.560	0.540	
51	गूजु पिता मिश्रीलाल जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/7	0.560	0.520	
52	आत्माराम पिता दुर्गाप्रसाद जाति मेहतर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/10	0.560	0.560	
53	श्यामलाल पिता मदनलाल जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/11	0.560	0.560	
54	रामस्वरूप पिता जगन्नाथ जाति चमार पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	3/12	0.560	0.560	
55	राजाराम पिता गंगाराम जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/13	0.560	0.560	
56	मान सिंह पिता रामकिशन जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/14	0.560	0.560	
57	कामता पिता गंगाराम जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/15	0.560	0.560	

58	बद्रीप्रसाद पुत्र मिश्रीलाल जाति चमार पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	3/16	0.560	0.560	
59	कमल पिता भागवती जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/18	0.560	0.530	
60	प्रथ्वी सिंह पिता नन्नूलाल जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	3/19	0.560	0.560	
61	डालचन्द्र पिता बटटू जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/20	0.560	0.560	
62	सोरमबाई बेवा भागीरथ शिव पुत्र भागीरथ गीताबाई कैलाशबाई सुगनबाई सुनीताबाई पुत्रिया भागीरथ जाति चमार पता मरहेटी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/21	0.560	0.070	
63	कालूराम पिता मिश्रीलाल जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	3/22	0.560	0.560	
64	रमेश पुत्र मिश्रीलाल जाति चमार पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	3/23	0.560	0.560	
65	रामसिंह पिता हरिप्रसाद जाति चमार पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	3/17	0.560	0.030	
66	मुकेश पिता जमनाप्रसाद जाति मैना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	4/1	0.328	0.070	

67	सरिताबाई बेवा तखत सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 अनिल पुत्र तखत सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 सुनील पुत्र तखत सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 रवि पुत्र तखत सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 राजा पुत्र तखत सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 सुमनबाई पिता तखत सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6	8/6	0.551	0.520	
68	रामकली बेवा श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 कैलाश पिता श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 सरजन पिता श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 गनपत पिता श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 दिलीप पिता श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 सुंदरलाल पिता श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 गीताबाई पिता श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 जयपाल मंटू सविता पिता जगदीश कृष्णाबाई बेवा जगदीश जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8	8/7	0.555	0.140	
69	रामफूल पिता लीलाकिशन जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	8/8	0.405	0.200	
70	हनुमत सिंह जसरथ सिंह हेमराज सिंह आ रब्बू सिंह बदामी वाई शिप्रा बाई पुत्री रब्बू सिंह जाति मीना पता नि. ग्राम भूमि स्वामी आहस्तांतरणीय	3/2/1	1.606	0.310	

71	जसरथ सिंह पिता रबू सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	3/2/2	0.587	0.240	
72	रमेश पिता पर्वतसिंह जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	37/5	0.024	0.020	
		41/5	0.020	0.005	
73	विश्रामसिंह पिता मांगीलाल जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	37/4	0.024	0.010	
		41/6	0.056	0.005	
74	नवल सिंह पिता जगन्नाथ पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	41/3	0.036	0.010	
75	अमर सिंह पिता जगन्नाथ जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	41/4	0.040	0.012	
76	मुकेश पिता पर्वतसिंह जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	41/7	0.036	0.005	
77	रीनाबाई बेवा दिनेश अनमोल नाबलिक शिवानी नाबलिक आ दिनेश जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	46/2	0.607	0.350	
		52/2/6	0.080	0.050	
78	विष्णुसिंह पिता प्रभुलाल जाति मीना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	46/5	0.210	0.160	
		52/2/7	0.089	0.050	
79	द्वारकाप्रसाद पिता कुंजीलाल जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	52/2/5	0.081	0.050	
80	शान्ति बाई पत्नी जगन्नाथ जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/1/3	0.906	0.550	
81	रेखाबाई बेवा बेबा रामगोपाल संजय ना बा प्रदीप ना बा आ रामगोपाल सोनु ना बा काजल ना बा पुत्री रामगोपाल जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/2/9	0.607	0.100	

82	हरिचरण पिता मोतीलाल जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/3/1,185/115/9,185/115/10	1.425	0.750	
83	छोटेराम पिता गनपत जाति कुडमी पता निवासी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/2 गोकलप्रसाद पिता गनपत जाति कुडमी पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/2	115/3/2/1	2.345	0.900	
		115/4/1	0.500	0.050	
84	रमेश पुत्र श्रीकिशन जाति कुडमी पता निवासी आछारोही भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/3/2/2/1, 115/9,185/15/10	0.782	0.360	
		115/4/2/1	0.166	0.090	
85	धर्मेन्द्र पुत्र श्रीकिशन जाति कुडमी पता निवासी आछारोही भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/3/2/2/2, 115/9,185/15/10	0.782	0.080	
		115/4/2/2	0.167	0.020	
86	फूलसिंह पुत्र श्रीकिशन जाति कुडमी पता निवासी आछारोही भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	115/4/2/3	0.166	0.010	
87	प्रेमनारायण पिता रामप्रसाद जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	114/1	1.841	1.340	
88	रामसिंह पिता भंवरलाल जाति कुडमी पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	114/2	0.591	0.550	
89	सुनील पिता रामप्रसाद जाति कुडमी पता आछारोही सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	114/4	1.845	0.040	
90	हेमराज पिता मदनलाल जाति कुडमी पता मरहेटी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	114/5	0.530	0.080	
91	अब्दुल अली पिता समद खॉ जाति मेवाती पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	101/2/3	2.696	1.020	
92	हिरदेश पिता श्यामलाल जाति कुडमी पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	124/5,125,126	0.623	0.100	

93	गायत्रीबाई पत्नी रामदयाल जाति कुडमी पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	124/8,125,1 26	0.789	0.100	
94	जगदीश पिता लीलाकिशन जाति कुडमी पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	124/17,125, 126	0.607	0.030	
95	जगन्नाथ आ नन्दराम हि 25 पैसे रामरतन आ राधेकिशन हि 25 पैसे दीपसिंह आ बटदूलाल हि 25 पैसे रामगोपाल आ गंगाराम हि 25 पैसे जाति कुडमी पता निवासी ग्राम चरनाल भूमि स्वामी	124/18,125, 126	0.263	0.120	
96	रामस्वरूप पिता हरिप्रसाद जाति देशवाली पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/3	0.202	0.202	
		128/19	1.011	0.080	
97	रामदयाल पिता मोहनलाल जाति गूजर पता श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/12/1	0.226	0.130	
		140/1/2/2/1	0.114	0.100	
98	दौलतसिंह पिता मोहनलाल जाति गूजर पता श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/12/2	0.227	0.080	
		140/1/2/2/2	0.113	0.100	
99	पर्वतसिंह पिता रामलाल जाति गूजर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/13	0.453	0.060	
100	मोशहीद पिता नवीखॉ जाति मेवाली पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/17	0.186	0.020	
101	हेमसिंह पिता हरिप्रसाद जाति देशवाली पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/18	1.011	0.580	
102	प्रीतमसिंह पिता शंकरलाल जाति चमार पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 राजेन्द्र पिता शंकरलाल जाति चमार पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 सुनील पिता शंकरलाल जाति चमार पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 अनिल पिता शंकरलाल जाति चमार पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4	128/20	0.607	0.550	

103	दीपककुमार पिता रामस्वरूप जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/21	0.405	0.405	
104	ओमप्रकाश पुत्र हरिप्रसाद जाति नाई पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/22/1	0.789	0.580	
105	गोपीलाल पिता मिश्रीलाल जाति तेली पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/22/2	0.789	0.180	
106	श्यामलाल पिता लक्ष्मण जाति गुजर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/23	0.291	0.180	
107	विक्रमसिंह पिता निर्भय सिंह जाति गुर्जर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 सुमेरसिंह पिता निर्भय सिंह जाति गुर्जर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 बबलू पिता निर्भय सिंह जाति गुर्जर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3	128/24	0.291	0.200	
108	बद्रीप्रसाद पिता कमलसिंह जाति गुजर निवासी पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/25	0.291	0.210	
109	प्रीतमसिंह पिता शंकरलाल जाति चमार पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	128/26	1.011	0.190	
110	राधेश्याम पिता काशीराम जाति साहु पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	131/2	1.214	0.450	
111	पर्वतसिंह पिता रामलाल जाति गूजर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	140/1/2/3	0.226	0.195	
112	जगदीशसिंह पिता अमर सिंह जाति गूजर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	140/1/2/4	0.417	0.260	
113	बनेसिंह पुत्र गंगाराम जाति गूजर पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	140/1/2/1/1	0.455	0.360	
114	मेहरबानसिंह पुत्र गंगाराम जाति गूजर पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	140/1/2/1/2	0.455	0.360	

115	दीपसिंह पिता अमर सिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	140/3	0.412	0.300	
116	सुरजसिंह पिता अमर सिंह जाति गूजर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	140/4	0.413	0.285	
117	लखनलाल पिता बट्टूलाल जाति जाटव पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	181/24/3	0.220	0.220	
118	इस्माईलखॉं पिता रसूलखॉं जाति मेवाती पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	182/98/4	1.619	1.339	
119	नरेन्द्रसिंह पिता भवरलाल जाति राजपूत पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 महेन्द्रसिंह पिता भवरलाल जाति राजपूत पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2	184/2,120	1.647	0.700	
120	सम्पतबाई पत्नी गोरेलाल जाति कुड़मी पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	185/115/4	1.619	1.120	
121	रामकलीबाई पत्नी गोकल प्रसाद पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	185/115/5	0.558	0.530	
122	कौशल्याबाई पत्नि कामताप्रसाद गोरियाबाई पत्नि लीलाकिशन गीताबाई पत्नि बालाप्रसाद विमला पत्नि राधेश्याम जाति कुड़मी पता नि. आछारोही भूमि स्वामी	185/115/6	1.121	0.700	
123	रामकिशन पुत्र मून्या जाति चमार पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	185/115/7	1.517	0.450	
124	रवि पिता हेमसिंह जाति देशवाली पता भेरुपुरा श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 दीपक पिता रामस्वरूप जाति देशवाली पता भेरुपुरा श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2	185/9-115	0.405	0.405	
	कुल योग :-	149	91.964	46.646	

निजी भूमि पर स्थित मकान								
सं क्र	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम पता	खसरा नम्बर	मकान का प्रकार	लम्बाई मीटर में	चौड़ाई मीटर में	कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	भवन स्वामी नाम	रिमारक
1	मो सादिक पिता नबीखां जाति मेवाती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 मो सलीम पिता नबीखां जाति मेवाती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 मो शाहिद पिता नबीखां जाति मेवाती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 रफीका बी पुत्री नबीखां जाति मेवाती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 जाहिदा बी पुत्री नबीखां जाति मेवाती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 शहजादी बी पुत्री नबीखां जाति मेवाती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6	182/98/3 में से	पक्का मकान छत आर सी. सी. भूतल	12.85	8.8	113.08	मोसादिक पिता नवी खां जाति मेवाती	1.भवन का स्वामित्व सहखातेदारों द्वारा दी गई सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है। 2.अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्र.क्र. 14/अ-82/2019-20 में पारित अवार्ड दिनांक 30.05.2022 में निर्धारित किया जा चुका है। 3. उक्त मकान में भवन स्वामी अस्थाई रूप से निवासरत है। 4. खसरा नंबर अद्यतित होकर वर्तमान में ख.न. 182/98/3/2 होकर कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के नाम दर्ज है।
			पक्का मकान छत आर सी. सी. भूतल	3.85	4.65	17.90		
			पक्का मकान छत आर सी. सी. प्रथम तल	4.10	4.35	17.84		
			खुला टीन शेड	11.45	7.45	85.30		
			पशु शेड टीन	9.00	3.95	35.55		
			शौचालय	2.20	1.5	3.30		
				कुल योग:-		272.97		

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर/तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिंह अढाचय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2024

क्र.-C-8010-दो-2-36-2022.—श्री संदीप शर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (Judi.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 21 से 23 नवम्बर 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 नवम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री संदीप शर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (Judi.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संदीप शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (Judi.) के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-C-8012-दो-3-127-2009.—श्री राजीव कर्महे, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 से 30 नवम्बर 2024 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कर्महे, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कर्महे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

एम.व्ही.आर. बालाजी शर्मा, डी.आर.-कम-पी.पी.एस.

जबलपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2024

क्र.-B-5081-दो-2-60-2014.—श्री राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 4 से 8 नवम्बर 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत

किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2024 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 एवं 10 नवम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (M) के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम.व्ही.आर. बालाजी शर्मा, डी.आर.-कम-पी.पी.एस.

जबलपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2024

क्र.-A-7968-दो-2-67-2023.—श्री समीर कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 20 से 26 नवम्बर 2024 तक, सात दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 19 नवम्बर 2024 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री समीर कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री समीर कुलश्रेष्ठ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-A-7973-चार-8-42-1977-भाग सोलह.—श्रीमती ऋचा बठेजा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, निवास, जिला मण्डला को दिनांक 1 अक्टूबर से 14 नवम्बर 2024 तक, 45 दिवस के स्वीकृत संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) के अनुक्रम में दिनांक 15 नवम्बर 2024 से 29 मार्च 2025 तक 135 दिवस का संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) की और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती ऋचा बटेजा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, निवास, जिला मण्डला को गरोठ जिला मन्दसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ऋचा बटेजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र.-A-7978-दो-2-27-2024.- श्रीमती वर्षा शर्मा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत एवं निरस्त किया जाता है:-

1. दिनांक 16 से 21 मई 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।
2. दिनांक 22 से 25 मई 2024 तक चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती वर्षा शर्मा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती वर्षा शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र.-A-7980-दो-2-18-2023.-श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दिनांक 18 से 23 नवम्बर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-A-7984-दो-2-24-2024.-श्री मुकेश कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीधी को दिनांक 4 से 5 नवम्बर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-5227-दो-2-64-2014.-श्री आर. के. गुप्त, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 11 से 13 नवम्बर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 नवम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्त, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गुप्त, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-5229-दो-2-33-2023.-श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 13 से 14 नवम्बर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 नवम्बर 2024 के स्थानीय अवकाश तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 15 से 17 नवम्बर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-5231-दो-2-47-2022.- श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 25 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2024 तक, 13 दिन का संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश दिनांक 24 नवम्बर से 8 दिसम्बर 2024 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती तृप्ति शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2024

शुद्धि-पत्र

क्र.-B-5253-चार-8-42-1977-भाग सोलह.-श्रीमती ऋचा बठेजा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, निवास, जिला मण्डला को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए/7973, दिनांक 14 नवम्बर 2024 के अन्तर्गत दिनांक 1 अक्टूबर से दिनांक 14 नवम्बर 2024 तक, 45 दिवस के पूर्व स्वीकृत संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) के अनुक्रम में दिनांक 15 नवम्बर 2024 से 29 मार्च 2025 तक 135 दिवस का संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) की स्वीकृति और प्रदान की गई है.

रजिस्ट्री के उपरोक्त आदेश के पैरा क्रमांक-2 में लिपिकीय त्रुटिवश श्रीमती ऋचा बठेजा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, निवास, जिला मण्डला को गरोट जिला मन्दसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है, लेख हो गया है. जबकि रजिस्ट्री के उपरोक्त आदेश में निवास, जिला मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है, लेख किया जाना चाहिये था.

अतः रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए/7973, दिनांक 14 नवम्बर 2024 में श्रीमती ऋचा बठेजा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, निवास, जिला मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है, पढा जावे.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

एम.व्ही.आर. बालाजी शर्मा, डी.आर.-कम-पी.पी.एस.

**उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ
इन्दौर**

इन्दौर, दिनांक 20 नवम्बर 2024

क्र.-अवकाश-1868.-श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 4 से 6 नवम्बर 2024 तक, तीन दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

अनूप कुमार त्रिपाठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.